<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>14.06.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) व उसके प्रमोटरों/निदेशकों के मामले में अनिल मिठास, उत्कर्ष मिठास, मधु मिठास, मेसर्स वेलवेट विस्टा फैशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कांति प्रसाद मित्तल पार्टनरशिप फर्म, मेसर्स सेठी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मेरठ, नोएडा और दिल्ली में स्थित 12 अचल संपत्तियों और मेसर्स बीएसबी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी वरीयता शेयर प्रमाण पत्र के रूप में एक चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका कुल मूल्य **25.94 करोड़ रुपये** है।

ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास और मेसर्स यूएफएचएल के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उ.प्र. पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज करके धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि अनिल मिठास, कंपनी मेसर्स यूएफएचएल के मुख्य प्रमोटर और प्रमुख व्यक्ति होने के नाते अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर घर खरीदने वालों/निवेशकों से धन एकत्र किया और नोएडा के सेक्टर 119 में अपनी परियोजना उन्नति द अरण्य के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया और उक्त एकत्र धन में से लगभग **126.30 करोड़ रुपये** की धनराशि को अपराध अवधि यानी 2011 से 2019 के दौरान संबंधित पक्षों को इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, डिबेंचर/बॉन्ड, ऋण और अग्रिम और सुरक्षा जमा में निवेश के नाम पर विपथित किया गया। उक्त विपथन के कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं और घर खरीदने वालों और वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ तथा मेसर्स यूएफएचएल के निदेशकों और प्रमोटरों को गलत तरीके से लाभ हुआ।

इससे पहले, कंपनी के मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास को ईडी ने 16/04/2025 को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। 17/04/2025 को विभिन्न संबंधित परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।